भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1534**
दिनांक 09.12.2025 को उत्तरार्थ

## ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा जारी किया गया अनुदान

†1534. श्री अरुण भारतीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वित्तीय वर्षों 2023-25 के दौरान बिहार में ग्राम पंचायतों (जीपी) को 15वें वित्त आयोग संबंधी कुल कितना अनुदान (सशर्त तथा बिना शर्त) जारी किया गया है;

(ख) जमुई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) जमुई में पंचायतों द्वारा किन प्रमुख क्षेत्रों (जैसे पेयजल, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट) में सशर्त अनुदान का उपयोग किया गया है;

(घ) राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों द्वारा इन निधि का समय पर संवितरण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद है; और

(ङ) पंचायतों के लिए भविष्य में निधि प्रवाह और अधिक स्वायत्तता के संबंध में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें क्या हैं?

**उत्तर**

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनटाईड (बिना शर्त) एवं टाईड (सशर्त) अनुदान क्रमशः पंचायती राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किया जाता है। इसके उपरांत, पंचायतों के सभी स्तरों के बीच अंतर-वितरण, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं तथा 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित बैंड के अनुरूप करता है।

वित्त वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु बिहार राज्य को जारी की गई 15वें वित्त आयोग की टाईड और अनटाईड (सशर्त तथा बिना शर्त) की अनुदान राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

| क्रम सं | वर्ष | अनटाईड (बिना शर्त) | टाईड (सशर्त) | कुल जारी राशि |
|---|---|---|---|---|
| | | जारी राशि | जारी राशि | |
| 1 | 2023-24 | 1542.13 | 2313.20 | 3855.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-25 | 1643.60 | 2465.41 | 4109.01 |

राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार विगत दो वित्तीय वर्षों 2023-25 के दौरान बिहार में ग्राम पंचायतों (जीपी) को 15वें वित्त आयोग संबंधी कुल जारी अनुदान (सशर्त तथा बिना शर्त) इस प्रकार है:

| **राज्यसरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को जारी राशि (₹ करोड़ में)** | | | |
|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष (FY) | अनटाइड (बिनाशर्त) | टाइड (सशर्त) | **कुल** |
| **FY 2023-24** | 1078.67 | 1618.02 | **2696.69** |
| **FY 2024-25** | 1151.80 | 1727.70 | **2879.50** |

(ख) और (ग) मंत्रालय, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से आवंटन, जारी और उपयोग राशि का डेटा नहीं रखता है। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित कुल राशि इस प्रकार है:

| **राज्यसरकार द्वारा जमुई ग्राम पंचायतों को जारी राशि (₹ करोड़ में)** | | | |
|---|---|---|---|
| वित्त वर्ष (FY) | अनटाइड (बिनाशर्त) | टाइड (सशर्त) | **कुल** |
| **FY 2023-24** | 43.26 | 63.60 | **106.86** |
| **FY 2024-25** | 20.79 | 29.03 | **49.82** |
| | | | |

ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार,बद्ध (टाइड) अनुदान (कुल अनुदान का 60%)बुनियादी सेवाओं जैसे (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए रखना, और इसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, और मानव मल और मल प्रबंधन और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर लिया है, तो वह दूसरी श्रेणी के लिए निधियों का उपयोग कर सकता है।

(घ) राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों के वितरण एवं उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही, निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, मंत्रालय अप्रैल 2020 से ई-ग्रामस्वराजवेबपोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) का संचालन कर रहा है, जो पंचायतों के सभी वित्तीय कार्यों—योजना निर्माण से लेकर भुगतान तक—को एकीकृत करता है। इस प्रणाली से प्राप्त प्रगति संबंधी आंकड़े(प्रोग्रेस डेटा) पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाते हैं, जो सार्वजनिक उपलब्ध हैं, ताकि राज्य, जिला और ब्लॉकस्तर पर समवर्ती निगरानी की जा सके।पोर्टल पर उपलब्ध 'रिवर्स रिसीट रिपोर्ट' (Treasury–PFMS–eGS Integration) सुविधा राज्यों द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदानों के हस्तांतरण के विवरण की निगरानी एवं पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करती है।

ई-ग्रामस्वराजको पंचायतों (ग्राम पंचायतों) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ जोड़ा गया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट को सक्षम करने के लिए अप्रैल 2020 में 'ऑडिट-ऑनलाइन' एप्लिकेशन शुरू किया गया। यह उपकरण केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने में तथा पंचायत स्तर पर वित्तीय पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने में सहायक है।

(ङ) 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाएँ संसद में प्रस्तुत नहीं करी गई हैं।

****